

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

“प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क” पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

नई दिल्ली, 19 मई, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 22 अप्रैल, 2020 को “प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क” पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। हितधारकों से परामर्श पत्र लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 20 मई, 2020 और 3 जून, 2020 रखी गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में हितधारकों/उद्योग संघों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 3 जून, 2020 और 17 जून, 2020 करने का विनिश्चय किया गया है। समयसीमा बढ़ाने के किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbcs-2@traf.gov.in या jadvisor-bcs@traf.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 या उपर्युक्त ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।